

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन

उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/पी०जी०/२०२४/ **2342**

लखनऊ: दिनांक **14** अक्टूबर, 2024

यू०पी० नीट एम०डी०एस०-२०२४ के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की ऑन लाईन

काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट एम०डी०एस०-२०२४ के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
2. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट एम०डी०एस०-२०२४ की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
3. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू० 2000/- (रू० दो हजार मात्र) ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अर्थात् प्रथम बार स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। (निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की एम०डी०एस पाठ्यक्रम की सीट हेतु रू० 1,00,000/-लाख एवं राजकीय क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु रू० 30,000/-)
5. यू०पी० नीट एम०डी०एस०-२०२४ की काउंसिलिंग में पूर्व की चक्रों में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
6. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवंटित डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू०पी० नीट एम०डी०एस० काउंसिलिंग 2025-26 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
8. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General Medical Education & Training U.P payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
9. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
11. स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने के उपरान्त संबंधित डेण्टल कालेज में रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा।
10. नीट पी०जी० 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड काउंसिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
11. नीट एम०डी०एस०-२०२४ काउंसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के संबंध में <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।


कृते महानिदेशक